...न व तारीख
...न जो इस हुक्म
...रीर मे जारी हुए

[illegible] पेश हुयी।

आज वकील उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये क्योंकि जिन खसरों पर प्रार्थी अप्रार्थी को पाबंद कराना चाहता है वे खसरे 149 (0.09है.), 150 (0.07है.), 163 (0.35है.) खाता संख्या 1 में दर्ज हैं एवं उनकी किस्म गै.मु. रास्ता है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ~~अस्वीकार~~ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल की जाकर नम्बर से कम करते हुये दाखिल दफ्तर की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.03.24 16:05:05 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा